राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ....111/भर./2013 - 2014

यह प्रमाणित किया जाता है कि

..........श्री कान्हा शिक्षा एवं सामाजिक सेवा समिति सारह..........

तहसील ....कुम्हेर.......... जिला ... भरतपुर ... का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक ....सात.......... माह ....मार्च..........

सन् दो हजार ....चौदह.......... को भरतपुर (राज०) में दिया गया।

7/3/2014

रजिस्ट्रार संस्थायें

रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर
भरतपुर (राज०)

R.K. OFFSET, M.-9462869075

Scanned by CamScanner

संस्था का नाम श्री कान्हा शिक्षा एवं सामाजिक सेवा समिति (नदबई) भरतपुर

तुलनात्मक विवरण पत्र

क्र. स.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम (पुराना)	विधान में संशोधित नियम (नया)
1.	2	इस संस्था का कार्यालय ग्रा पो0 रारह तह0 , कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0) है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य रहेगा।	इस संस्था का कार्यालय कलाविधामंदिर स्कूल के पास लाल कुआ रोड नदबई भरतपुर (राज0) है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य रहेगा।
2.	3	पूर्व प्रावधान नही	1. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह–जगह वृक्षारोपण करना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना। 2. पर्यावरण संतुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उददेश्य से पौधशालाओं की स्थापना करना एवं उसर खाली पडी बंजर भूमि पर सरकार के माध्यम से सघन वक्षीकरण करना एवं बनीकरण को बढावा देना इसी के साथ समाज में पोलीथिन के बढते चलन को रोकने हेतु समाज को जागरूक कर समाज को पोलीथिन मुक्त करना। 3. विकलांग व दृष्टिहीन बच्चों के कल्याण हेतु निःशुल्क शिक्षा/रोजगार परक शिक्षा, चिकित्सा, आवास, व कृत्रिम अंग आदि कि व्यवस्था करना। समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी, मूक वधिरो विकलागों व निराक्षित, लाचार बच्चों वृद्वजनों के कल्याण के लिये कार्य करना, बालआक्षम अनाथालय, एवं बद्वाश्रम की स्थापना करना तथा विभिन्न शिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरू करना एवं बेरोजगार युवक – युवतियों एवं विधवा, अनाथ परितयक्ता महिलाओं एवं वृद्वजनों व अनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।
3.	11 अ	शैक्षिक संस्थान के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक शैक्षिक संस्थान की प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे। 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–एक 3. सचिव–एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. सदस्य–ग्यारह	शैक्षिक संस्थान के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक शैक्षिक संस्थान की प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे। 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–एक 3. सचिव–एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. सदस्य–सात 6. मनोनित सदस्य–चार 1. छात्र प्रतिनिधि 2. अभिभवक प्रतिनिधि 3. स्टाफ प्रतिनिधि 4. ब्लॉक/जिशिअ कार्या0 भरतपुर का प्रतिनिधि

विधान संशोधन पंजीकृत
दिनांक 6-4-18
रजिस्ट्रार संस्थाऐं
भरतपुर (राज०)

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं भरतपुर (राज.)

जीतेन्द्र सिंह
अध्यक्ष

रनधीर सिंह
सचिव

अजीतसिंह
कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner